हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

जबकि, हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में आवश्यक नियामक निर्देश जारी करने हेतू भूजल विकास और प्रबंधन सहित जल संसाधनों के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या 2/62/2020&1IW दिनांक **14.12.2020** के तहत हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया था। ।

और जबकि थोक पानी की आपूर्ति के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या सीजीडब्ल्यू,-21/45/2020-सीजीडब्ल्यूए–724 दिनांक 27/08/2021 के तहत यह निर्णय लिया है कि हरियाणा सरकार टैंकरों के पंजीकरण के लिए नोडल प्राधिकरण की पहचान और घोषणा करे।

और जबकि हरियाणा सरकार ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण को थोक जल आपूर्ति के लिए टैंकरों के पंजीकरण के लिए नोडल प्राधिकरण घोषित करने के आदेश संख्या 2/3/2022&IIW दिनांक 05/04/2022 द्वारा निर्णय लिया गया।

और जबकि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने हरियाणा राज्य में संचालित पानी के टैंकरों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

अब, इसलिए, सभी ऑपरेटरों/मालिकों/एजेंसियों को एतद्‌वारा निर्देशित किया जाता है कि वे पानी के टैंकरों को पोर्टल पर अर्थात् https://hwra.org.in पर 16 सितम्बर 2022, तक पंजीकृत करें। यह भी निर्देश दिया जाता है कि बिना पंजीकरण के किसी भी टैंकर को जब्त कर कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 16 सितम्बर 2022 तक टैंकरों का पंजीकरण निःशुल्क के है।

अध्यक्षा,
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण

"जल बचाओ, जीवन बचाओ"